निगरानी प्रकरण क्र. : ...../2014
प्रस्तुति दिनांक : ...../11/2014

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
मध्यप्रदेश के समक्ष

1. **श्रीमती पार्वती पति स्व.श्री बुधरमलजी**
   निवासी–47, नीलकंठ कॉलोनी,
   इन्दौर (म.प्र.)

2. **रितेश पिता श्री छगनलाल राजपाल**
   निवासी–खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.) .....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. **शैलेन्द्र पिता स्व.श्री वनबिहारी अवस्थी**
2. **दीपक पिता स्व.श्री वनबिहारी अवस्थी**
3. **सुश्री ज्योति पिता स्व.श्री वनबिहारी अवस्थी**
   तीनों निवासी–146, आदर्श ग्राम, राजमहल कॉलोनी,
   6 बंगले के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)

4. **श्रीमती शोभा पति श्री शरद कुमार पाठक**
   निवासी–एल.आई.जी. 104, अन्तोदय नगर,
   रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.)

5. **रमेश पिता नामालुम**
6. **कुंवर सिंह पिता नामालुम**
7. **बबलु पिता नामालुम**
8. **कमल पिता नामालुम**
9. **जीतु पिता नामालुम**
   सभी हाल निवासी–अन्नपूर्णा रोड, जय ट्रेडर्स के पास,
   इन्दौर (म.प्र.) .....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय, इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ–70/2010–11 में दिनांक 24/06/2013 को पारित आदेश के पालन में दिनांक 13/10/2014 को प्रेषित सूचना पत्र से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3718-पीबीआर/14 इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2/ आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-6-13 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना सीमांकन के आधार पर अनावेदक क्रमांक 5 से 9 को आधिपत्य दिलाये जाने के आदेश है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 कभी भी आधिपत्य ही नहीं रहा है और ना ही उनके द्वारा यह आक्षेप अपने वाद में दर्शाया गया है कि उसे किस दिनांक को, किसके द्वारा भूमि से बेदखल किया गया है । ऐसी स्थिति में भूमि का सीमांकन ना होते हुये भी तथा बेदखली का आधार भी उपलब्ध नहीं होते हुये तहसील न्यायालय के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के पक्ष में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है जो अधिकार बाह्य होकर क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्ती योग्य होकर ऐसे अवैध आदेश के आधार पर प्रेषित प्रश्नाधीन सूचना पत्र एवं कब्जा प्राप्ति की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है । 4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 250 का प्रकरण चल रहा है, जिसमें आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि आवेदकगण के अनुसार कब्जा उनका है । अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह आवेदकगण को भी संहिता की धारा 250 में पक्षकार के रूप में संयोजित करें । उक्त निर्देशों के साथ निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	